18

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर (आर०ए०एस०)

दायरा दिनांक–01–10–2019

मुकदमा नम्बर 88/2019

मुखराम वर्मा पुत्र श्री मानाराम कौम कुम्हार निवासी ग्राम कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– आवेदक

– :: बनाम ::–

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भगवाना राम कौम कुम्हार निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. मोहनी देवी पत्नी स्व0 भगवाना राम कौम कुम्हार निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3. तहसीलदार नवलगढ (लैण्ड होल्डर) तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य
वकील अनावेदकगण :– श्री रामावतार/राहुल वर्मा

<u>प्रार्थना पत्र : अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक 28–09–2022

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है :– ग्राम कोलसिया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1125, 1238, 1169 क्रमश रकबा 1.70, 1.16, 1.14 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 4.00 हैक्टर मे हिस्सा 1/2 मे आवेदक का शामिल में रिकार्डेड खतेदार काश्तकार आवेदक अकेला है एवं 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार शामिल में अनावेदक नम्बर 1 व शेष 1/4 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार अनावेदिका नम्बर 02 शामिल में है। इन तीनो खसरा नम्बरान का खाता राजस्व रिकार्ड मे तीन जगल अलग–अलग है जो क्रमशः खाता संख्या 268, 297, 93 है जो जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 एवं जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 ग्राम कोलसिया में दर्ज अनुसार है। उक्त समस्त भूमि आवेदक एवं अनावेदकग नम्बर 1 व 2 की पैतृक भूमि है। आवेदक एवं अनावेदक नम्बर 1 व 2 स्वर्गीय श्री मानाराम पुत्र श्री धन्नाराम कौम कुम्हार निवासी ग्राम कोलसिया तहसील नवलगढ के वारिसान है, जिसकी वंशावली प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 1 में दर्ज है। उक्त भूमि का खाता विभाजन नही हुआ है अभी तक भूमि शामलाती है तथा इस भूमि का विधिवत बंटवारा नही किया गया है। उपरोक्त खसरा [illegible] के लिये विवादित भूमि के नाम से सम्बोधन किया गया है।

विवादित भूमि खसरा नम्बर नया 1125 [illegible] कटानी रास्ता लगता है। यह खेत खसरा नम्बर 1125 पूर्व–पश्चिम [illegible] मे लम्बाई मे ज्यादा है। अनावेदक संख्या 1 एवं 2 के पिता श्री भगवानाराम ने एवं आवेदक ने करीबन 27–28 वर्ष पहले अपने उपरोक्त वर्णित तीनो खेतो का भाई बंटवारा किया था, जिस अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 1125 का [illegible] पश्चिमी दिशा में बंटवारा किया था जिस अनुसार इस खसरा नम्बर का 1/2 उतरी हिस्सा आवेदक के हिस्से मे आया एवं 1/2 दक्षिणी हिस्सा आवेदक के बडे भाई श्री भगवानाराम के हिस्से मे आया जिस पर उनकी मृत्यु के बाद में उनके स्थान पर अनावेदकगण नम्बर 1 एवं 2 का कब्जा है। अनावेदकगण नम्बर 1 व 2 ने वर्ष 2012 में अपने दक्षिणी 1/2 हिस्से की भूमि में बोरिंग का नाजायज कुआ

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:23 IST
Reason: SelfAttested

तहहसील को राजस्थान सरकार द्वारा डार्क जाने घोषित करने के बाद मे बनाया जिसमें उसने नाजायज तरीक से वर्ष 2013 में विधुत कनेक्शन भी लिया है। इस नाजायज बोरिंग को जब्त करवाने के लिए प्रशासनिक शिकायत अलग सेचल रही है। इस विवादित भूमि खसरा नम्बर 1125 के 1/2 दक्षिणी हिस्से में ही गत वर्ष अनावेदकगण नम्बर 1 व 2 ने अपने रहने के लिये कमरे बनाये है जिनमें अब वे रह रहे है। इस वर्ष, वर्षा होने पर अनावेदकगण नम्बर 1 व 2 ने आवेदकगण नम्बर 1 एवं 2 ने आवेदक को उसके हिस्से की भूमि काश्त नही करने देने की गलत मंशा से उन्होने दिनांक 27.07.2019 को खसरा नम्बर 1125 के सम्पूर्ण 1/2 पश्चिमी हिस्से (अन्दाजन) के चारो तरफ तारबंदी कर उसमें काश्त कर ली व पूर्वी तरफ की अन्दाजन आधी जमीन छोड दी, लेकिन इस पूर्वी तरफ के छोडे गये हिस्से में जाने का रास्ता बंद कर दिया। रास्ता नही होने से यह पूर्वी हिस्से काश्त के बिना पड़ा है क्योंकि कटानी रास्ता इस विवादित भूमि खसरा नम्बर 1125 रकबा 1.70 हैक्टर सटाकर पश्चिमी दिशा से उत्तर दक्षिण दिशा में सम्पूर्ण चौड़ाई तक जाता है, स्थित हैं इसी का फायदा उठाकर बलात रूप से नाजायज ताकत के बल पर अनावेदकगण नम्बर 1 व 2 ने खसरा नम्बर 1125 के पश्चिमी बढ़िया हिस्से की भूमि पर नाजायज इसके चारो तरफ तारबंदी कर कब्जा करने की कुचेष्टा की है। अनावेदकगण की इस नाजायज कुचेष्टा से इस जमीन का पूर्वी हिस्सा काश्त के बिना पड़ा है। जब आवेदक ने अनावेदकगण नम्बर 1 व 2 को पूछा कि तुम लोगो ने विवादित भूमि के सम्पूर्ण पश्चिमी हिस्सा की भूमि काश्त कैसे की एवं पूर्वी हिस्से की भूमि में जाने आने का रास्ता भी बन्द कर दिया तो अनावेदकगण संख्या 1 व 2 ने कहा कि तुम्हारें पूर्वी तरफ की लगभग आधी जमीन छोड़ दी उसे पड़ोसियों के खाते में से जाकर काश्त कर लो लेकिन क्योंकि अनावेदकगण संख्या 1 व 2 ने पश्चिमी तरफ की जमीन के चारों तरफ तारबन्दी कर ली जिस कारण पूर्वी हिस्से में आने जाने का रास्ता पूर्ण रूप से बन्द हो गया एवं रास्ते के अभाव मे आवेदक इस पूर्वी हिस्से को भी काश्त नही कर पा रहा है तब वादी छोड़ी गयी पूर्वी हिस्से की भूमि में मोठ की फसल काश्त करना चाहता है जो देरी से बोने पर भी हो जाती है लेकिन अनावेदकगण नम्बर 1 व 2 उसके लिये भी रास्ता नही दे रहे है जिस कारण आवेदक को अपूरणीय नुकसान हो रहा है। गांव के मौजिज व्यक्तियों ने भी अनावेदगण संख्या 1 एवं 2 को समझा दिया लेकिन वे नही मान रहे तथ पाड़ौसियों ने भी अपने खेतो में से दिनांक 11.08.2019 को रास्ता देने के लिए पूर्णरूप से मना कर दयिा खेतो में से होकर तुम्हे तुम्हारे खेत खसरा नम्बर 1125 के पूर्वी भागर को काश करने के लिए रास्ता नही देगे। जिस पर मजबूर होकर आवेदक को अदालत हाजा की शरण लेनी पडी । अनावेदकगण नम्बर 1 एवं 2 ने अपने हिस्से की भूमि को अनावेदकगण संख्या 4 के यहां रहन रखकर ऋण ले रखा है इसलिए अनावेदक संख्या 4 को पार्टी बनाया गया है।

विवादित भूमि खसरा नम्बर 1238 एवं 1169 के काश्त करने में मौजूदा में कोई विवाद नही है। खसरा नम्बर 1238 मे आने जोन के लिये केवल पगडण्डी ही है तथा खसरा नम्बर 1169 के दक्षिण दिशा में पूर्व–पश्चिम सम्पूर्ण लम्बाई [illegible] के हिस्से में विधिवत विभाजन से आने वाली भूमि में आने के लिये 12 फ[illegible]डा [illegible] का रास्ता भी कायम करना आवश्यक है।

आवेदक गरीब किसान व्य[illegible] में अगर वह अपनी भूमि खसरा नम्बर 1125 को काश्त नही कर सकता तो उसे अपरणीय नु[illegible] निश्चित रूप से होगा क्योंकि इस वर्ष भी अच्छी हो रही है जिससे अच्दी उपज होने की पूर्ण सम्भावना है। अनावेदकगण ने नाजायज कानून को हाथ में लेकर आवदेक को नुकसान पहुचाने के लिए साथ में बदमाशी की है। आवेदक लडाई झगडे में विश्वास नही रखता है वह कानूनन को मानने वाला है। इसलिए उसने दावा/प्रार्थना पत्र के निर्णय तक विवादित भूमि खसरा नम्बर 1125 का पूर्वी हिस्सा भी जोतने के लिए तैयार हो गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:23 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (का. ए.)
नवलगढ़

है लेकिन उसको काश्त करने एवं उसमें जाने के लिए भी अनावेदकगण नम्बर 1 व 2 ट्रेक्टर ले जाने के लिये रास्ता नही दे रहे जिस कारण जमीन काश्त बिना पड़ी है एवं आवेदक ऐसी स्थिति में अपने हक एवं हिस्से की भूमि भी काश्त नही कर पा रहा है जिसे काश्त करवाना न्यायहित में आवश्यक है। आपसी सहमति से बंटवारा करवाने के लिये जब आवेदक ने दिनांक 11.08.2019 को अनावेदगण संख्या 1 एवं 2 को पूछा तो उन्होने मना कर दिया।

आवेदक का प्रथम दृष्टया बहुत ही मजबूत मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय नुकसाऩ के बिन्दु के पक्ष में है क्योंकि आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 1125 स्थित सरहद ग्राम कोलसिया के 1/2 हिस्से का रिकार्डेड सह–खातेदार काश्तकार है यह उसकी पैतृक सम्पति है इसके बावजूद अनावेदकगण नम्बर 1 व 2 उसे अपनी ताकर के बल पर व कानून को हाथ में लेकर आवेदक को उसके हिस्से की भूमि को काश्त करने और उसमें अपने टेनेन्सी अधिकारों के उपयोग उपभोग में गैर कानूनी ढंग से बाधा उत्पन्न कर रहे है जमीन को काश्त नही करने दे रहे है आवेदक किसान व्यक्ति है ऐसी स्थिति में जमीन काश्त नही करने देने से आवेदक का निश्चित रूप से अपूरणीय नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी हालत में पूर्ण होना सम्भव नही होगी।

आवेदक ने प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा है कि तादावा दौराने दावा अनावेदकगण नम्बर 1 व 2 को जरिये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित भूमि खसरा नम्बर 1125 रकबा 1.70 हैक्टर स्थित सरहद ग्राम कोलसिया तहसील नवलगढ़ में आवेदक को 1/2 हिस्से के काश्त करने उसमें आवेदक को उसके टेनेन्सी अधिकारों का उपयोग उपभोग करने तथा इस खसरा नम्बर 1125 के पश्चिमी दिशा पर उतर से दक्षिण सम्पूर्ण लम्बाई मे जो कटानी रास्ता स्थित है उसमें होकर इस भूमि खसरा नम्बर 1125 के पश्चिमी हिस्से में से होकर पूर्वी आधे हिस्से की भूमि मे आने जाने गाडी वगैरह लाने ले जाने ट्रेक्टर वगैरह ला व ले जाकर इस जमीन को काश्त करने व इस जमीन मे आवेदक को उसके टेनेन्सी अधिकारो का उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की बाधा ना तो अनावेदकगण संख्या 1 व 2 स्वयं डाले एव ना ही अपने घर के नौकर चाकर रिश्तेदार मजदूर वगैरह से ही कोर्ठ बाधा डलवाये/पैदा करवाये। आवेदक को विवादित भूमि में अपने 1/2 हिस्से को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे या अन्य कोई सिद्धि/आदेश उपरोक्त परिस्थिति में माननीय न्यायालय आवेदक के पक्ष में उचित वह सादर पारित किया जावे तथा अनावेदकगण नम्बर 1 व 2 को आदेशित किया जावे कि वे विवादित भूमि खसरा नम्बर 1125 के पश्चिमी भाग के चारो तरफ तारबन्दी कर उन्होने इस जमीन के पूर्वी भाग के चारों तरफ तारबंदी कर इन्होने इस जमीन के पूर्वी भाग में जाने का रास्ता बन्द कर दिया है। इस तारबन्दी को हटाकर इस जमीन के पूर्वी भाग मे आवेदक को आने जाने इसे काश्त करने के लिये इसमें से होकर बैल ऊंट, भैंसा, ट्रेक्टर वगैरह लाने ले जाने के लिए रास्ता देवे एवं रास्ते के लिए मना नही करे।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण संख्या 1 व [illegible] वकील श्री रामावतार जी व राहुल वर्मा उपस्थित। अनावेदकगण संख्या [illegible] की तामील [illegible] पर बावजूद सूचना के उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही लाई गई।

अनावेदकगण नम्बर 01 व 02 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि विवादित भूमि में आवेदक तथा अनावेदक नम्बर 1 व 2 का का हिस्सा 1/[illegible] है जिसे आवेदक के भाई भगवानारा के जीवनकाल में करीब 40 वर्ष पूर्व ही सहुलियत से बंटवारा उक्त सभी खसरा नम्बरान की भूमि का कर लिया था उसी अनुसार आज भी आवेदक एवं अनावेदक नम्बर 1 व 2 काबिज है एवं काश्त कर रहे है जिसमे कोई विवाद नही है भूमि रिकार्डेड होना खातेदार काश्तकार होना पैतृक भूमि होना स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:23 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

खसरा नम्बर 1125 के विषय में बताया बया है पूर्णतः आधारहीन मनगढ़ंत एवं अविश्वसनिय है जो कतई स्वीकार नही है इस धारा में सही तथ्यों को छुपाया गया है तथा सम्पूर्ण तथ्यों को ही तोड़ मरोड़ कर हकीकत की छुपाकर दर्ज किये है जो सत्य नही होने के कारण अस्वीकार है क्योकि मौके पर आज भी रास्ता कायम है।

आवेदक ने केलव 3 खसरा नम्बरान का विक्रय किया जबकि खसरा नम्बर 1186, 1187 मे आई भूमि का कही भी ब्यौरा स्पष्ट नही किया है। जबक स्व. मानाराम का इन खसरा नम्बर में हिस्सा था तथा आवेदक का भी हिस्सा है जबकि अनावेदकगण के हिस्से में आई उक्त खसरा नम्बर की भूमि के हिस्से को जानबूझकर छुपाकर न्यायालय को गुमराह किया गया है। आवेदक का प्रार्थना पत्र खाजिर होने योग्य है। आवेदक किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

प्रार्थना पत्र में आवेदक ने जो तयि एवं परिस्थितियां दर्ज की है वा कतई अस्वीकार है हकीकत यह है कि अनावेदकगण नम्बर 1 जो आवेदक का भतीजा है तथा अनावेदिका नम्बर 2 जो आवेदक की भाभी है आवेदक को हमेश आदर सम्मान दिया अनावेदिका नम्बर 2 ने आवेदक को अपने हर घर एवं बाहर के काम में आगे रखा तथा आवेदक के मार्गदर्शन में ही सब कुछ किया लेकिन अनावेदक नम्बर 1 अपने माता पिता का अकेला पुत्र सन्तान होने से तथा आवेदक के 4 पुत्र होने से अनावेदक नम्बर 1 को दबाकर रखना चाहता है तथा जन एवं धन के और से अनावेदकगण को अपने अधीन रखना चाहता है जबकि अनावेदक नम्बर 1 मजदूरी पेशे वाला आदमी है जो मजदूरी के सिलसिले मे अक्सर घर से बाहर रहता है आवेदक के हिस्सो की जमीन पर दखल करने का प्रश्न ही नही खेतो के रास्ते आज भी 40 वर्ष से बंटवारे के बाद वैसे के वैसे ही कायम है अनावेदकगण द्वारा कोई भी विधि विरूद्ध कृत्य नही किया गया आवेदक धन बल एवंज न बल के आधार पर अनावेदगण को तंग पेरशान करता है। आवेदक ने झूंठा मनगढ़त बेबूनियाद तथा मौका की स्थिति का तोड़ मरोड़ कर सही तथ्यों को छुपाकर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारीज होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र आवेदक चलने योग्य नही होने खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील आवेदक ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को तथा वकील अनावेदकगण संख्या 01 व 02 ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की पुनरावृति की गई। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:23 IST
Reason: SelfAttested

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :– दोनों [illegible] साथ विवेचन किया जा रहा है :–**

यह निर्विवादित है कि [illegible] स्थित खसरा नम्बर 1125, 1238, 1169 क्रमश रकबा 1.70, 1.16, 1.14 हैक्टर कुल किता 03 [illegible] रकबा 4.00 हैक्टर मे हिस्सा 1/2 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार आवेदक अकेला है एवं 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार अनावेदक नम्बर 1 व शेष 1/4 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार अनावेदिका नम्बर 02 शामिल में है। इन तीनो खसरा नम्बरान का खाता राजस्व रिकार्ड मे तीन जगह अलग–अलग है जो क्रमशः खाता संख्या 268, 297, 93 है जो जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 एवं जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 ग्राम

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

कोलसिया में दर्ज अनुसार है। उक्त समस्त भूमि आवेदक एवं अनावेदकगण नम्बर 1 व 2 की पैतृक भूमि है। आवेदक एवं अनावेदक नम्बर 1 व 2 स्वर्गीय श्री मानाराम पुत्र श्री धन्नाराम कौम कुम्हार निवासी ग्राम कोलसिया के वारिसान है, जिसकी वंशावली प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 1 में दर्ज अनुसार है। उक्त भूमि का विधिवत विभाजन नही होकर भूमि शामलाती है। आवेदक अधिवक्ता ने उज्र उठाया है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि आवेदक व अनावेदकगण नं. 1 लगायत 2 की शामलाती हक अधिकारों की भूमि है। वाद विभाजन का है। प्रश्नगत विवादित भूमि आवेदक एवं अनावेदकगण संख्या 01 व 02 की शामलाती खातेदारी की भूमि दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत सहखातेदार की शामलाती भूमि में प्रत्येक ईंच–ईंच पर कब्जा काश्त होता है। वाद विभाजन का है, जिसका निस्तारण साक्ष्य के आधार पर साबित होगा। अतः विवादित भूमि शामलाती संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में प्रतीत होता।

- **अपूरणीय क्षति** :– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है तो आवेदकगण को अपूरणीय क्षति घटित होती है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम कोलसिया की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1125 रकबा 1.70 हैक्टर के संबंध में जारी अंतरिम आदेश दिनांक 1.10.2019 को तादावा निर्णय कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:23 IST
Reason: SelfAttested